COURT FEE 10 Rs. COURT FEE 2 Rs. COURT FEE 2 Rs. COURT FEE 1 Re. ONE RUPEE

(64)

C-PPS 15/5

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म॰प्र॰

प्र॰क्र॰- - -/2004 नि॰मा॰ R. 585-PBR/2004

1॰पतिरामसिहं

2॰हमीरसिहं पुत्रगण ईश्वरी सिहं

जाति ठा॰ नि॰ग्राम रामचन्द का पुरा

मौजा रजोधा तह॰पोरसा जिला मुरैना

- - - आवेदकगण

बनाम

1॰नरसिहं उर्फ नाथूसिहं

2॰विष्णु पुत्रगण हनुमंतसिहं

जाति ठा॰ नि॰ग्राम रामचन्द का पुरा मौजा

रजोधा तह॰पोरसा जिला मुरैना

- - अनावेदकगण

श्री सुरेन्द्र जैन एडवोकेट द्वारा आज दि॰ 23/4/04 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
23 APR 2004

Sidaln 23-04-2004

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰भू॰रा॰संहिता

विरूद्व आदेश न्यायालय अखिलेन्द्र अरझरिया अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र॰क्र॰2/2002-2003 नि॰मा॰ के आदेश दिनांक 30॰6॰2003

श्रीमानजी,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य निम्न प्रकार है:-

[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 585–पीबीआर/2004 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–4–14	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 16–3–2010 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 10–4–2014 तक नियत होता रहा किन्तु 16–3–2010 से 10–4–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति को इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 10–4–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2004 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	